FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

सुरेन्द्र बनाम बिजेन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा –दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा नंबर ....275 / 21.. सन.............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2023	पेशी दिनांक 02.05.2023 को मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल होने के कारण आज पत्रावंली प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प हिंगोटा पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् विड्रो(खारिज) किया जाने वादपत्र पेश होने निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2023 नियत थी। उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी गण में आपसी समझाईस से समझौता हो चुका है। इसलिये वादीगण इस प्रकरण को आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। वादीगण अपने स्वेच्छा से उक्त वादपत्र को विड्रो करना चाहता है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विड्रो करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के राजीनाम होने के कारण दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अड.चन नही होने से प्रार्थना पत्र बावत् किये जाने विड्रो दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विड्रो(खारिज) किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जा कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 15.05.2023 प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प हिंगोटा में लिखाया जाकर सुनाया गया। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) उपखण्डअधिकारी	वादी Surender Singh प्रतिवादीगण बिजेन्द्र भँवरसिंह राधा देवी